

15/03/23

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थिया उप०। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपरिथत रहने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि प्रार्थिया के पति का सही नाम कर्मवीर सिंह पुत्र मालसिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहबन से गलत नाम बलबीर सिंह पुत्र मालूसिंह दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना उचित है। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पर्ची, प्रार्थिया के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थिया के पति का नाम कर्मवीर सिंह पुत्र मालसिंह है, से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम बलबीर सिंह पुत्र मालूसिंह अंकित है। प्रार्थिया का कथन कि प्रार्थिया के पति का सही नाम कर्मवीर सिंह पुत्र मालसिंह है की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पर्ची, प्रार्थिया के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।





(बृजेश कुमार)
उपप्रमुख अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम डाबला पटवार हल्का डाबला तह. नीमकाथाना के खाता संख्या 22 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम बलबीर सिंह पुत्र मालूसिंह के स्थान पर कर्मवीर सिंह पुत्र मालसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।




(बृजेश कुमार)
उपप्रमुख अधिकारी
नीमकाथाना